संख्या-13/2017/ 849 ई-2/तेरह-2017-101/2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 01 मई, 2017

विषय: आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई के चयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-40/2016/1500 ई-2/तेरह-2016-101/2015टीसी, दिनांक 24-06-2016, पत्र संख्या- 79/2016/2692 ई-2/तेरह-2016-101/2015, दिनांक 15-12-2016, पत्र संख्या-12/2017/704 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दिनांक 13-04-2017 तथा अपने पत्र संख्या- जी/202/दस-लाइसेंस-होलोग्राम टेण्डर/ 2016-17, दिनांक 04 जनवरी, 2017, पत्र संख्या- जी- 221/ दस-लाइसेंस-होलोग्राम टेण्डर/ 2016-17, दिनांक 18 जनवरी, 2017, जी-238/ लाइसेंस-294/ होलोग्राम आपूर्ति/ यूफ्लैक्स लि0/2015-16, दिनांक 01 मार्च, 2017 एवं जी-154/ दस-लाइसेंस-होलोग्राम टेण्डर/ 2016-17, दिनांक 09 अप्रैल, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक के रूप में चयनित इकाई मे0 यूफ्लैक्स लि0 ए-1, सेक्टर-10, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के साथ संविदा/अनुबन्ध निष्पादन किये जाने हेतु अनुबन्ध पत्र का आलेख विधीक्षित कराते हुए शासन के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुबन्ध पत्र का आलेख निम्नलिखित संशोधन एवं कतिपय शर्तो के साथ विधीक्षित कर दिया गया है :-

(1) विचाराधीन अनुबन्ध के रिसाइटल, परिभाषा, शर्त-4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.26, 4.27, 5.1, 6.1 पुनर्रांकित शर्त-6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 11.5 एवं 12.3 में संशोधन/प्रतिस्थापन/निरसन/

परिवर्द्धन कर दिया गया है। अनुबन्ध में नयी शर्त- 2.3, 9.2 एवं 11.5 जोड़ी गयी हैं तथा शर्त 6.2, 6.3, 6.4 को हटाकर उसके स्थान पर नयी शर्त-6.2 सम्मिलित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त शर्त-12.3 को हटाकर नयी शर्त-4.31 सम्मिलित की गयी है।

(2) अनुबन्ध की शर्त-4.20 में उल्लिखित बैंक गारण्टी की वैधता अवधि उक्त शर्त के अनुसार 42 माह है, यह सुनिश्चित कर लिया जाय।

(3) शासनादेश संख्या-79/2016/2692 ई-2/तेरह-2016-101/2015, दि0 15-12-2016 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) अनुबन्ध पत्र के विधीक्षित आलेख्य के साथ प्रस्तर-2.5, 4.2 आदि में उल्लिखित संलग्नक-1 "Specification of the High Security Hologram for Application on Liquor Bottle" को अनुबन्ध के साथ संलग्न करना सुनिश्चित किया जाय।

(5) अनुबन्ध पत्र के विधीक्षित आलेख के प्रस्तर-12.1 में उल्लिखित संलग्नक-2 "Tender Document" को अनुबन्ध के साथ संलग्न करना सुनिश्चित किया जाय।

(6) आलेख्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं इसकी तथ्यात्मक शुद्धता सुनिश्चित कर ली जाय।

अत: अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध पत्र का उक्तानुसार विधीक्षित आलेख्य मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये यह अनुरोध है कि कृपया न्याय विभाग द्वारा किये गये संशोधन का समावेश कर उनकी उपर्युक्त शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये चयनित इकाई के साथ अनुबन्ध पत्र को निष्पादित करने के पूर्व मन्तव्य की पूर्ति होने एवं तकनीकी पहलुओं का अपने स्तर पर समाधान करते हुये समग्र रूप से आश्वस्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-अनुबंध पत्र का विधीक्षित
आलेख्य मूलरूप में।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।